

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक ११६ / २-६ दिनांक, देवरिया, अक्टूबर २० / 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
देवरिया ।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एच०एस०-७९ ) के कि०मी० १४ से १५ के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-९०८ ग्राम-कोन्वहलियों पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित ०.०७५५०२८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या-८ बी/यू०पी०/०६/१२/२०२३/एफ०सी०/१३१ दिनांक ०९.१०.२०२४ तथा मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-९९४/ ११-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/१४५६६१/२०२१ दिनांक १०.१०.२०२४ ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न है, के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि उक्त विषयक प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा वन संरक्षण एवं अपराध अधिनियम के उल्लंघन के लिये धारा-३ए, ३ बी के तहत कार्यवाही की गयी है। उसे मा० न्यायालय में मामला दायर कर इसकी स्थिति की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि उच्च स्तर को भेजा जा सकें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

  
(कासरला राजू)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक ११६ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-उप प्रभागीय वनाधिकारी, सा०वा० प्रभाग, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



  
(कासरला राजू)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, प्यारवा ताल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : recz.lko-mef@nic.in, goimofco@nic.in

पत्र सं० : 8वीं/यू0पी0/08/12/2023/एफ.सी./131

दिनांक: 09.10.2024

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/145661/2021**

**विषय:** जगद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा देवरिया-कसवा मार्ग (एस0एच0-79) के किमी० नं०-14 से 16 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908, ग्राम-कोन्डवलियाँ, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरव्यवहार प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 626/11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांक 03.09.2024.


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-388/81-2-2022-800(403)/2022, दिनांक 12.01.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयवर्ती प्रस्ताव पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 01.08.2024 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचनाएं मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रकरण में विद्योपशान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As per Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) Notification No. 11/113/2022-FC, dated 15.05.2023, the Divisional Forest Officer (DFO) / Deputy Conservator of Forest (DCF) is empowered to file a case/complaint in the court having jurisdiction in the matter. DFO Deorea was asked to initiate action under section 3A, 3B for violation, under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Thus, the concerned DFO is requested to submit report on status of filing of the case in the Hon'ble Court.

भवदीया,

  
(ऑ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(से०), वन विभाग, 17, राधा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राधा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया।
5. उप महाप्रबंधक(रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, पैतालपुर, देवरिया।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(ऑ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भावना  
आ.का.के  
प्र.प्र.के  
25/10/2024

कार्यालय प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया  
रिजि० सं० 1569  
प्रारंभ सं० 2-6  
दिनांक 26-10-2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-994/11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 10, 2024

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

# सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(बे) का उल्लंघन

रिपोर्ट नं० ..... दिनांक 26/12/2023 रेंज देवरिया वीट तरकुलवा

रेंज केस नम्बर 40/2023-24 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता  
चन्दुभानु तिवारी 510 स्व. कोषले देव तिवारी  
ग्राम - कौन्हवलिया, पोस्ट - कंचनपुर, थाना - तरकुलवा  
जिला - देवरिया (उ०प्र०)

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता  
अनुपमा बेर्जा, श्रीवोमवन सोपेहारी देवरिया

3. कथित अपराध का पूरा विवरण  
देवरिया - कसया मार्ग कि० मी० 14 से 15  
के मध्य दायी पक्ष पर ग्राम - कौन्हवलिया, पोस्ट - कंचनपुर  
थाना - तरकुलवा, जिला - देवरिया में बिना आदेश सरकार के  
अनुमति के 0.075028 हे० संरक्षित वन शीत का चैर काटने का प्रयोग  
किया जाना जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(बे)  
का उल्लंघन है।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ  
आज दि० 26/12/2023 को देवरिया  
द्वारा सूचना दिये जाने पर देवरिया - कसया मार्ग कि० मी०  
14-15 के मध्य दायी पक्ष पर ग्राम - कौन्हवलिया, थाना - तरकुलवा  
जिला - देवरिया में सुरक्षा पट्टा पत्र का गैर वैधता किया गया  
जहाँ पर 0.075028 हे० संरक्षित वन शीत का चैर काटने का प्रयोग  
के अनुमति के बिना किया जाना पाया गया जो  
उक्त कर्तव्य अंगुष्ठ न वन संरक्षण अधिनियम 1980 के  
धारा 3(बे) का उल्लंघन किया है।  
द्वारा प्रति प्रमाणित।

R. J. Jaiswal  
प्रमाणित निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
देवरिया

R. J. Jaiswal  
केस काटने वाले का हस्ताक्षर  
पद DFO

दिनांक- 26/12/2023 20